

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश


कोरोना वायरस (कोविड-19) के बढ़ते संक्रमण को देखते हुये राज्य सरकार द्वारा द एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, 1897 (The Epidemic Diseases Act, 1897) की धारा 2 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कडिका 1 में अंकित स्थानों पर तथा कडिका 3 एवं 4 में अंकित सेवाओं को छोड़कर सभी निजी प्रतिष्ठानों, निजी कार्यालयों एवं सार्वजनिक परिवहन को पूर्णतः बंद (Lockdown) करने का आदेश दिया जाता है।

1. सभी जिला मुख्यालय, सभी अनुमंडल मुख्यालय, सभी प्रखंड मुख्यालय एवं सभी नगर निकायों पर यह आदेश लागू होगा।
2. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से किलहाल 31 मार्च 2020 तक लागू रहेगा।
3. निम्न सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठानों/सेवाओं को इस आदेश की परिधि से बाहर रखा जायेगा—
 - i. निजी क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सा सेवा,
 - ii. दूरसंचार सेवा,
 - iii. बैंकिंग एवं ए0टी0एन सेवायें,
 - iv. डेयरी एवं डेयरी से संबंधित प्रतिष्ठान,
 - v. खादयान एवं किराने के प्रतिष्ठान,
 - vi. फल-सब्जियों की दूकानें,
 - vii. दवा की दूकानें, सर्जिकल आइटम्स से संबंधित संस्थान,
 - viii. पेट्रोल पंप एवं सी0एन0जी0 स्टेशन,
 - ix. एल0पी0जी0 गैस एजेंसी,
 - x. पोस्ट ऑफिस एवं कूरियर सेवायें,
 - xi. ई-कॉमर्स सेवायें,
 - xii. इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया,
4. उपरोक्त अवधि के दौरान मालवाहक वाहन, एंबुलेंस, आवश्यक एवं आपातकालीन सेवाओं से संबंधित वाहनों के परिचालन की अनुमति होगी। साथ ही कडिका 2 में वर्णित कार्य/सेवाओं के लिये उपयोग में आने वाले वाहनों एवं सरकारी कार्य में लगे हुये वाहनों को इस आदेश की परिधि से बाहर रहेंगे।
5. सरकारी कार्यालयों के लिये पूर्व में सामान्य प्रशासन विभाग से निर्गत आदेश सं0-26 दिनांक 21 मार्च 2020 एवं आदेश सं0-3736 दिनांक 13 मार्च 2020 लागू रहेंगे। इस दौरान सभी



सरकारी कार्यालयों में आमजन के प्रवेश को प्रतिबंधित करने संबंधी सामान्य प्रशासन विभाग का निर्देश भी लागू रहेगा।


6. स्वास्थ्य विभाग द्वारा द एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, 1897 (The Epidemic Diseases Act, 1897) के अंतर्गत पूर्व में निर्गत आदेश यथावत लागू रहेंगे।
7. उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु सभी जिला दण्डाधिकारी प्राधिकृत होंगे। वे इस प्रयोजन हेतु अपने क्षेत्रान्तर्गत राज्य सरकार के किसी भी विभाग के पदाधिकारी/कर्मियों की सेवा प्राप्त कर सकेंगे।


प्रधान सचिव
स्वास्थ्य विभाग,

ज्ञापांक- 115 (HS) /पटना, दिनांक 22 मार्च 2020

प्रतिलिपि:-

- मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- विशेष कार्य पदाधिकारी, स्वास्थ्य मंत्री, बिहार सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।
- सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ प्रेषित।
- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला दण्डाधिकारी/सभी पुलिस अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


प्रधान सचिव,
स्वास्थ्य विभाग

DAV PUBLIC SCHOOL BIHITA, PATNA

*A little homework will be
given to you shortly.*

*Kindly visit the website
regularly.*